न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 95/2017

उनवान

1. धीसाराम पुत्र गयदपाल जाति माली उम्र 52 साल निवासी वार्ड न० 25 नीमकाथाना

बनाम प्रार्थी

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू० रा० अधिनियम

उपस्थित:- श्री रोशनलाल अग्रवाल एड० - प्रार्थी

निर्णय दिनांक 5/10/17

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि पुराने ख०न० 9 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसमे बगडावत सिंह पुत्र भोपाल सिंह राजपूत निवासी गणेश्वर के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी। उसने अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई इन्दु कुमार हरिनारायण पुत्र गयदपाल को दिनांक 14-8-86 को तीस हजार रुपये में विक्रय कर विक्रय पत्र तहरीर करवाकर उप पंजियक नीमकाथाना के यहाँ तस्दीक करा दिया था एवं कब्जा सम्भला दिया था तब से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। विक्रय पत्र के आधार पर नामा० दर्ज किया जाकर जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया गया जमाबंदी सं 2044 से 2047 में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई इन्दुकुमार, हरिनारायण का 1/2 हि० दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी सं 2048 से 51 मे उसीअनुसार इन्द्राज किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हरिनारायण ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि शेखावाटी ग्रामीण बैंक गणेश्वर के यहाँ रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था जिसका नामा० सं 1496 दर्ज किया गया एवं जमाबंदी सं 2048 से 51 मे इन्द्राज किया

जाया था। जमाबंदी सं 2052 से 2055 तैयार करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सहवन से इन्द्रकुमार पुत्र जयदयाल हि० 2/3 धीलाराम हरिनारायण पुत्र जयदयाल हि० 1/3 दर हि० 1/2 दर्ज कर दिया गया जबकि इन्द्र कुमार पुत्र जयदयाल हि० 1/6 दर्ज किया जाना चाहिए था उक्त सम्पूर्ण भूमि मे प्रार्थी 1/6 हि० इन्द्रकुमार 1/6 हि० हरिनारायण 1/6 हि० के काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि नवीन सेटलमेंट मे ख०न० 15,16,17,18 किता 4 रकबा 11.75 है० दर्ज किये गये। जमाबंदी सं 2071 से 2074 में प्रार्थी का 1/12 हि० प्रार्थी के भाई हरिनारायण का 1/12 हि० व इन्द्र कुमार का 1/3 हि० दर्ज है। जो दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी 1/6 हि० हरिनारायण 1/6 हि० व इन्द्र कुमार 1/6 हि० दर्ज किया जाना है इन्द्र कुमार ने अपने हिस्से की भूमि मे से 0.75 है० भूमि सुरजी देवी पत्नी भरत सिंह जाट निवासी गोडावास को विक्रय कर दी। प्रार्थी ने तहसीलदार नीमकाथाना को उक्त दुरुस्ती हेतु निवेदन किया तब न्यायालय हाजा से आदेश प्राप्त करने हेतु कहा अतः आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर भूमि पुराने ख०न० 9 रकबा 11.75 है० ग्राम गणेश्वर जिसके नवीन ख०न० 15, 16,17,18 की जमाबंदी सं 2071 से 2074 में दुरुस्ती की जाकर प्रार्थी धीलाराम पुत्र जयदयाल हि० 1/12 के बजाय 1/6 हरिनारायण पुत्र जयदयाल हि० 1/12 के बजाय हि० 1/6 व इन्द्र कुमार पुत्र जयदयाल हि० 1/3 के बजाय हि० 1/6 (सुरजी देवी पत्नी भरत सिंह हि० 75/196) इन्द्र कुमार पुत्र जयदयाल हि० 121/196) दर्ज फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली कि गई एवं बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी की बहस ध्यान-पूर्वक सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम गणेश्वर की जमाबंदी सं 2071 से 2074 मे भूमि ख०न० 15,16,17,18 की खातेदारी धीलाराम पुत्र जयदयाल हि० 1/12 व पुष्पा देवी धर्मपत्नी इन्द्रकुमार हि० 1/2 कौम सैनी रहिन राज० ग्रा० बैंक शाखा गणेश्वर मुर्तहीन सुरजी देवी पत्नी भरत सिंह हि० 75/392 कौम जाट सा० गोडावास इन्द्रकुमार पुत्र जयदयाल हि० 317/392 दर हि० 1/3 हरिनारायण पुत्र जयदयाल रहिन रा० ग्रा० बैंक गणेश्वर मुर्तहीन हि० 1/12 कौम सैनी सा० नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण सं० 146 दिनांक 5.8.2015 द्वारा विरासत से हरिनारायण का हि० उसके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। तहसीलदार नीमकाथाना कि रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया जमाबंदी 2071-2074 में नवीन ख०न० 15,16,17,18 (पुराना 6,7,9) में इन्द्रकुमार पि० जयदयाल ने अपने हिस्से 1/6 मे से 0.75 हे० भूमि का विक्रय कुरनी देवी प० भरत सिंह कौम जाट को करने से उसी अनुसार अमल किया गया है। पुरानी जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिस्से अनुसार अंकन सही था। जो जमाबंदी सं० 2052 से 55 तैयार करते समय त्रुटि हुई होना प्रतीत होती है। जिसको हिस्से अनुसार सही करने एवं दुरुस्त करने बाबत तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे उचित बताया है। वर्तमान मे भूमि रहन मुक्त है प्रार्थी द्वारा बैंक से नोड्यूज प्राप्त कर पेश किया था। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि पर लिया गया ऋण प्रार्थी द्वारा चुकता कर दिया है। प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट दिनांक 24-5-2017 आदेश का भाग रहेगी। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5।10।17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)